RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
अगस्त
25
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

संसद ने नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पाँच प्रमुख समुद्री विधेयक पारित किए / Parliament Passes Five Key Maritime Bills to Boost Blue Economy

संदर्भ:

भारत की संसद ने हाल ही में सम्पन्न मानसून सत्र में पाँच महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं, जो औपनिवेशिक कालीन समुद्री कानूनों में व्यापक बदलाव लाते हैं और देश की **ब्लू इकॉनमी** को नई गति प्रदान करेंगे।

नए विधेयक (2025):

सरकार ने समुद्री क्षेत्र को आधुनिक बनाने और कानूनी ढांचे को सरल करने के लिए कई नए विधेयक पेश किए हैं। इनमें पाँच प्रमुख विधेयक शामिल हैं:

1. बिल्स ऑफ लेडिंग, 2025:

- कानूनी दस्तावेजों को सरल बनाने पर केंद्रित।
- विवादों को कम करेगा और Ease of Doing Business को बेहतर बनाएगा।

2. कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल, 2025:

- 1925 के पुराने कानून को बदल दिया।
- Hague-Visby Rules को अपनाया गया।
- अंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत होंगे और मुकदमों में कमी आएगी।

3. कोस्टल शिपिंग बिल, 2025:

- भारत की Coastal Shipping हिस्सेदारी (modal share) को 6% तक पुनर्जीवित करने का लक्ष्य।
- सालाना लगभग ₹10,000 करोड़ की लॉजिस्टिक्स लागत बचत।
- सड़क जाम और प्रदूषण में कमी।

4. मर्चेंट शिपिंग बिल, 2025:

- 1958 के पुराने कानून को पूरी तरह बदल दिया।
- जहाज़ी दुर्घटनाओं से मलबा हटाने (wreck removal) और बचाव कार्यों को तेज़ और प्रभावी बनाने की व्यवस्था।

5. इंडियन पोर्ट्स बिल, 2025:

- 1908 के प्राचीन कानून को प्रतिस्थापित किया।
- Maritime State Development Council का गठन, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर योजना बनाई जा सके।
- राज्यों के Maritime Boards को छोटे बंदरगाहों के प्रबंधन की अधिक शक्ति।
- विवादों के निपटारे के लिए राज्य-स्तरीय तंत्र का निर्माण।

भारत का समुद्री क्षेत्र (India's Maritime Sector)

1. समुद्री महत्व:

- भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है।
- 12 प्रमुख (major) बंदरगाह और 200 से अधिक छोटे (minor) बंदरगाह इसे विश्व की व्यस्ततम शिपिंग रूट्स पर एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग हब बनाते हैं।

2. क्षेत्र का अवलोकन (Overview):

- भारत का समुद्री क्षेत्र **95% व्यापार (volume में) और 70% व्यापार (value में)** संभालता है।
- 2014-15 से माल ढुलाई क्षमता (cargo handling capacity) में **87% की वृद्धि** हुई।
- **FY24 में 819.22 मिलियन टन कार्गो** का प्रबंधन किया गया।
- नीतियाँ जैसे **100% FDI और टैक्स इंसेंटिव्स** ने इस क्षेत्र को और मजबूत किया।

सरकार ने समुद्री क्षेत्र को मज़बूत करने और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं:

- **सागरमाला प्रोग्राम** – बंदरगाह, तटीय विकास और कनेक्टिविटी पर फोकस।
- **Maritime India Vision 2030** – भारत को टॉप 10 शिपबिल्डिंग देशों में शामिल करने का लक्ष्य, 150+ पहलें।
- **इनलैंड वाटरवेज़ डेवलपमेंट** – 26 नई राष्ट्रीय जलमार्ग, जिससे सड़क-रेल पर दबाव कम होगा।
- **ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम** – 2040 तक फ्यूल आधारित टग की जगह पर्यावरण-अनुकूल टग।
- **सागरमंथन डायलॉग** – भारत को वैश्विक समुद्री चर्चाओं का केंद्र बनाने की पहल।
- **Maritime Development Fund** – ₹25,000 करोड़ का फंड, बंदरगाह और शिपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए।
- **Shipbuilding Financial Assistance Policy 2.0** – भारतीय शिपयार्ड को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए मदद

केरल भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना / Kerala becomes India's first 100% digitally literate state

संदर्भ:

केरल ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए **देश का पहला राज्य** बनने का गौरव प्राप्त किया है, जिसने **पूर्ण डिजिटल साक्षरता** का दर्जा प्राप्त किया। राजधानी तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण घोषणा की।

डिजिटल साक्षरता का अर्थ: डिजिटल साक्षरता का मतलब है व्यक्तियों और समुदायों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों (जैसे स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि) को समझने और उनका सही उपयोग करने की क्षमता।

वर्तमान स्थिति:

- केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार भारत के केवल **38% घर डिजिटल रूप से साक्षर** हैं।
- **शहरी क्षेत्रों** में यह दर **61%** है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों** में यह दर मात्र **25%** है।
- यह आँकड़े स्पष्ट रूप से **ग्रामीण–शहरी खाई (Digital Divide)** को दर्शाते हैं।

केरल ने 100% डिजिटल साक्षरता कैसे हासिल की?

केरल की डिजिटल सफलता किसी एक योजना का परिणाम नहीं है, बल्कि शिक्षा, नीतियों और समाज के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है। यहाँ स्कूल से लेकर पंचायत और महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक, सभी को डिजिटल दुनिया से जोड़ा गया।

सफलता के प्रमुख कारण:

- **उच्च साक्षरता दर (96%+):** पढ़ाई-लिखाई में आगे होने से डिजिटल शिक्षा की मजबूत नींव बनी।
- **अक्षय केंद्र (2002 से) :** गाँव-गाँव में डिजिटल ट्रेनिंग दी गई।
- **कुडुंबश्री मिशन:** महिलाओं को डिजिटल लेन-देन और इंटरनेट साक्षरता सिखाई गई।
- **IT@School प्रोजेक्ट:** बच्चों को शुरुआती स्तर से ई-लर्निंग से जोड़ा।
- **डिजिटल केरल मिशन (2018 से) :** सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया।
- **पंचायत स्तर की पहल:** हर पंचायत में डिजिटल केंद्र बनाए गए ताकि आम लोगों तक तकनीक पहुँचे।
- **कोविड-19 का प्रभाव:** ऑनलाइन क्लासेस और ई-गवर्नेंस से डिजिटल उपयोग तेज़ हुआ।
- **प्रवासी भारतीयों का असर** – विदेशों से जुड़े लोगों ने डिजिटल संस्कृति को मजबूत किया।

केरल को 100% डिजिटल साक्षर बनने से मिले लाभ

केरल की यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्रशासन, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज—चारों स्तरों पर बड़ा बदलाव लाती है। डिजिटल साक्षरता ने सरकारी कामकाज को पारदर्शी बनाया और आम नागरिकों के जीवन को आधुनिक व सुविधाजनक।

1. प्रशासनिक फायदे:

- **ई-गवर्नेंस आसान** – जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, पेंशन और भूमि रिकॉर्ड पूरी तरह ऑनलाइन।
- **भ्रष्टाचार और दलाली में कमी** – अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
- **डिजिटल रिकॉर्ड की सुविधा** – आवेदन की स्थिति खुद ट्रैक कर सकते हैं।
- **समय की बचत** – छोटे-छोटे काम घर बैठे मिनटों में पूरे।

2. शिक्षा और युवाओं के लिए फायदे:

- **स्मार्ट क्लास और ई-लर्निंग** – छात्रों को ई-बुक्स और ऑनलाइन लेक्चर का लाभ।
- **कोविड-19 में पढ़ाई बाधित नहीं हुई** – क्योंकि छात्र पहले से डिजिटल उपकरणों से परिचित थे।
- **युवाओं के लिए नए अवसर** – ऐप डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, डेटा एंट्री, ऑनलाइन ट्यूटरिंग जैसी नौकरियाँ बढ़ीं; आईटी सेक्टर मजबूत हुआ।

3. आर्थिक और सामाजिक फायदे:

- **गांवों तक डिजिटल पेमेंट** – छोटे दुकानदार, किसान और *कुडुंबश्री* समूह भी ऑनलाइन लेन-देन कर रहे।
- **नकदी पर निर्भरता कम** – लेन-देन तेज और सुरक्षित।
- **पर्यटन को बढ़ावा** – होटल बुकिंग, गाइड सर्विस, ऑनलाइन टिकटिंग और मोबाइल ऐप्स से सेवाएँ आसान।

4. महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के फायदे:

- **महिला सशक्तिकरण** – *कुडुंबश्री* और *अक्षय केंद्रों* ने लाखों महिलाओं को डिजिटल लेन-देन सिखाया; वे अब बैंकिंग और छोटे व्यवसाय संभाल रही हैं।
- **वरिष्ठ नागरिक और ग्रामीण लोग लाभान्वित** – मोबाइल से पेंशन, इलाज और टिकट बुकिंग जैसी सुविधाएँ आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन / Bharatiya Antariksh Station

संदर्भ:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर भारत मंडपम में **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) का मॉडल** अनावरण किया। यह भारत का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जिसकी पहली इकाई 2028 में लॉन्च की जाएगी।

मुख्य बिंदु (Key Point) –

- भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जो **ऑर्बिटल लैबोरेटरी (Orbital Laboratory)** का संचालन करते हैं।
- वर्तमान में अंतरिक्ष में केवल दो ही ऑर्बिटल लैब मौजूद हैं:
    1. **इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS)** - जिसे पाँच देशों की अंतरिक्ष एजेंसियाँ मिलकर चला रही हैं।
    2. **चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन**।
- भारत का लक्ष्य है कि **2035 तक कुल 5 मॉड्यूल** अपने स्पेस स्टेशन के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाएँ।
- पहला मॉड्यूल **BAS-01** होगा, जिसका वजन लगभग **10 टन** होगा।
- इसे पृथ्वी से **450 किलोमीटर ऊँचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट (Low Earth Orbit)** में स्थापित किया जाएगा।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की प्रमुख विशेषताएँ-

- स्वदेशी रूप से विकसित पर्यावरण नियंत्रण एवं जीवन समर्थन प्रणाली (ECLSS)
- भारत डॉकिंग सिस्टम और भारत बर्थिंग मैकेनिज्म
- स्वचालित हैच सिस्टम
- सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (Microgravity) में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का प्लेटफॉर्म
- वैज्ञानिक इमेजिंग की सुविधा
- चालक दल के मनोरंजन और अंतरिक्ष अवलोकन के लिए व्यूपोर्ट

ये विशेषताएँ BAS को न केवल भारत की अंतरिक्ष क्षमता का प्रतीक बनाएंगी, बल्कि इसे एक उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान केंद्र के रूप में भी स्थापित करेंगी।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) का विकास टाइमलाइन:

1. **पहला मॉड्यूल लॉन्च (2028)**
    - BAS का पहला मॉड्यूल **BAS-1** वर्ष **2028** में **LVM3** से प्रक्षेपित होगा।
    - इसमें **जीवन समर्थन प्रणाली (Life Support System)** और **क्रू क्वार्टर (Crew Quarters)** जैसी अहम तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा।
2. **पूर्ण निर्माण (2035 तक)**
    - स्टेशन का पूरा निर्माण **2035** तक पूरा करने का लक्ष्य है।
    - इसमें कई **अतिरिक्त मॉड्यूल** जोड़े जाएंगे, जिससे स्टेशन की **क्षमता और कार्यक्षमता** बढ़ेगी।
3. **पूर्ववर्ती मिशन (Precursors)**
    - मानव मिशनों से पहले ISRO कई **प्रीकर्सर मिशन** संचालित करेगा।
    - इनका उद्देश्य लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के लिए **आवश्यक तकनीकों का परीक्षण और सत्यापन** करना होगा।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS):

परिचय:

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है। इसे 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया और 2011 से यह लगातार आबाद है। यह संयुक्त परियोजना है जिसमें अमेरिका (NASA), रूस (Roscosmos), यूरोप (ESA), जापान (JAXA) और कनाडा (CSA) की अंतरिक्ष एजेंसियाँ शामिल हैं।

स्थिति और गति:

- यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊँचाई पर परिक्रमा करता है।
- इसकी रफ्तार लगभग 28,000 किमी/घंटा है।
- हर 90 मिनट में यह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है।

उद्देश्य:

- अंतरिक्ष और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के ज्ञान को बढ़ाना।
- वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों को बढ़ावा देना।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करना।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून / National space law

संदर्भ:

भारत ने **दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस** बड़े उत्साह के साथ मनाया, जो चंद्रयान-3 की सफलता और गगनयान जैसे महत्वाकांक्षी अभियानों की दिशा में उसकी प्रगति को दर्शाता है। हालांकि, इन उपलब्धियों के बावजूद भारत के पास अभी तक एक समग्र **राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून** नहीं है, जो निजी और वाणिज्यिक गतिविधियों को विनियमित और प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के बारे में:

राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून एक घरेलू कानूनी ढांचा होता है, जिसके माध्यम से किसी देश की अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियमित किया जाता है। यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है, बल्कि सरकार, निजी क्षेत्र और निवेशकों को लाइसेंसिंग, दायित्व और वाणिज्यिक अधिकारों से जुड़ी स्पष्टता भी प्रदान करता है।

वैश्विक अंतरिक्ष कानून:

आउटर स्पेस ट्रिटी (Outer Space Treaty - OST) 1967:

- अंतरिक्ष को सभी मानव जाति का क्षेत्र घोषित किया गया।
- किसी भी देश को आकाशीय पिंडों (चंद्रमा, ग्रह आदि) पर अपना अधिकार स्थापित करने की अनुमति नहीं।
- प्रत्येक देश अपनी क्षेत्राधिकार में किए गए सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें निजी कंपनियों द्वारा किए गए मिशन भी शामिल हैं।
- इस ट्रिटी ने अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए अधिकारों, जिम्मेदारियों और दायित्व नियमों का बंधनकारी ढांचा बनाया।

OST 1967 के सहायक समझौते (Companion Agreements) :

1. **लायबिलिटी कन्वेंशन 1972:** किसी भी अंतरिक्ष वस्तु (जैसे सैटेलाइट या अंतरिक्ष मलबा) द्वारा हुई क्षति के लिए राज्य जिम्मेदार होगा।
2. **रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन (Registration Convention) 1976**: अंतरिक्ष में भेजी गई सभी वस्तुओं का पंजीकरण अनिवार्य।
3. **मून एग्रीमेंट (Moon Agreement) 1979**
   - अंतरिक्ष संसाधनों को **"सभी मानव जाति की साझा धरोहर"** माना गया।
   - बहुत कम देशों ने इसे स्वीकार किया; भारत इस समझौते का पक्षधर नहीं है।

भारत का वर्तमान अंतरिक्ष कानूनी और नीतिगत ढांचा:

भारत द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौते:

- भारत ने प्रमुख संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष संधियों को मान्यता दी है।
- हालांकि, भारत अभी व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून बनाने की प्रक्रिया में है।

वर्तमान नियामक उपाय:

1. **भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 (Indian Space Policy, 2023):** सरकारी और निजी संस्थाओं की भूमिका और जिम्मेदारियों का विवरण।
2. **IN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre):** गैर-सरकारी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए नियामक और अनुमोदन केंद्र।
3. **भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के मानक:** तकनीकी सुरक्षा और संचालन के दिशा-निर्देश।
4. **मानक, दिशानिर्देश और प्रक्रियाएँ 2023:** अंतरिक्ष गतिविधियों की अनुमोदन प्रक्रिया का ढांचा।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता:

कानूनी स्पष्टता और नियामक स्थिरता:

- एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून से **कानूनी स्पष्टता और नियामक स्थिरता** सुनिश्चित होती है।
- इससे सरकारी और निजी अंतरिक्ष गतिविधियों में **ब्यूरोक्रेटिक बाधाएँ कम** होती हैं और संचालन सहज होता है।
- यह **सुरक्षा और अनुपालन मानक** तय करता है, जैसे: लाइसेंसिंग, दुर्घटना जांच, अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन
- भारत को **Outer Space Treaty** के तहत अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के अनुरूप बनाता है।

निजी क्षेत्र और निवेश को बढ़ावा:

- स्पष्ट नियमों के माध्यम से **निजी कंपनियों की भागीदारी** और विदेशी निवेश आकर्षित होता है।
- लाइसेंसिंग, **आईपी अधिकार**, बीमा और FDI पर नियम तय होते हैं।
- इससे स्टार्टअप्स को विदेश जाने से रोका जा सकता है।
- उच्च मूल्य वाले संसाधनों और नवोदित कंपनियों की **सुरक्षा सुनिश्चित** होती है।

नवाचार और प्रतिभा संरक्षण:

- **आईपी अधिकारों की सुरक्षा**, उद्योग-शैक्षणिक सहयोग और निवेशकों का भरोसा बढ़ाता है।
- भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र **वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी** बना रहता है।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल / RGI

संदर्भ:

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने राज्यों से जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक पंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा है।

अस्पतालों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण:

मुख्य जानकारी

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी अस्पतालों को जन्म और मृत्यु के 'पंजीयक' घोषित किया गया है।
- यदि जन्म या मृत्यु घटना अस्पताल में हुई है, तो संबंधित चिकित्सा अधिकारी को इसे Registration of Births and Deaths Act, 1969 की धारा 8 (1) (B) के तहत रिपोर्ट करना आवश्यक है।
- अस्पतालों को यह सूचना 21 दिनों के भीतर देनी होती है।
- RBD Act, 1969 में 2023 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार जन्म और मृत्यु का ऑनलाइन पंजीकरण RGI पोर्टल पर अनिवार्य कर दिया गया है।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI):

स्थापना और नियंत्रण

- वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा स्थापित।
- **गृह मंत्रालय (MHA)** के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

मुख्य कार्य

1. **जनगणना (Census of India)**
   - प्रत्येक 10 साल में भारत की जनगणना का आयोजन।
   - योजना, समन्वय और संचालन की निगरानी करता है।
2. **सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS)**
   - भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण।
   - महत्वपूर्ण आँकड़ों की सटीकता और एकरूपता सुनिश्चित करता है।
3. **महत्वपूर्ण सांख्यिकी:** जन्म, मृत्यु, मृत्यु के कारण और जनसंख्या गतिशीलता पर डेटा संग्रह और प्रकाशन।
   - नीति निर्माण और योजना के लिए आवश्यक जनसांख्यिकीय जानकारी प्रदान करता है।
4. **सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS)**
   - 1969 में शुरू हुआ।
   - **जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर (IMR)** का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करता है।
   - **डुअल रिकॉर्ड प्रणाली** का उपयोग करता है (लगातार गणना और स्वतंत्र सर्वेक्षण)।

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का संशोधित आदेश

संदर्भ:

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूर्व की उस निर्देशिका में संशोधन किया है, जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखने का आदेश दिया गया था। अदालत का ताज़ा फैसला इस मुद्दे पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें पशु कल्याण और नागरिकों की सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।

दिल्ली–NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

पृष्ठभूमि:

- सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली-NCR की **नगर निगमों को आदेश** दिया था कि वे **आवारा कुत्तों को इकट्ठा करके 6–8 सप्ताह में आश्रयों में रख दें**, क्योंकि डॉग बाइट्स और रेबीज जैसी समस्याओं से **सार्वजनिक सुरक्षा** पर खतरा था।
- इस आदेश को **पशु कल्याण समूहों** ने चुनौती दी, क्योंकि उनका कहना था कि यह **Animal Birth Control (ABC) Rules, 2023** का उल्लंघन करता है, जो कुत्तों को नसबंदी के बाद उनके मूल क्षेत्र में लौटाने का निर्देश देता है।

हालिया फैसले में दिशानिर्देश:

1. **आवारा कुत्तों का रिहाई:**
   - कुत्तों को **नसबंदी, डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन** के बाद वापस उसी इलाके में छोड़ा जाएगा, जहाँ से उन्हें उठाया गया था।
   - **रेबीस या आक्रामक कुत्तों** को नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद **अलग आश्रय/पाउंड** में रखा जाएगा।
2. **भोजन पर नियम:**
   - सड़क पर आवारा कुत्तों को खाना देना **प्रतिबंधित**।
   - नगर निगमों को हर वार्ड में **विशेष फीडिंग जोन** स्थापित करना होगा, जिनमें **साइनबोर्ड** लगे हों।
3. **गोद लेने का विकल्प:**
   - पशु प्रेमी कुत्तों को **नगर निगम के माध्यम से गोद** ले सकते हैं।
   - गोद लिए गए कुत्तों को **सड़क पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा।**
4. **निगरानी और प्रवर्तन:**
   - नगर निगमों को **हेल्पलाइन** बनानी होगी, ताकि उल्लंघनों की रिपोर्ट की जा सके।
   - **NGOs या व्यक्तियों** जो कार्यान्वयन में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ **कानूनी कार्रवाई** होगी।

इंटेल कॉरपोरेशन / Intel Corporation

संदर्भ:

अमेरिकी सरकार ने चिप निर्माता कंपनी इंटेल (Intel) में लगभग 10% हिस्सेदारी खरीदते हुए 8.9 अरब डॉलर का निवेश किया है।

इंटेल कॉरपोरेशन (Intel Corporation):

संक्षिप्त परिचय

- **स्थापना:** 18 जुलाई 1968, रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर द्वारा।
- **मुख्यालय:** सांता क्लारा, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, अमेरिका।
- **मुख्य क्षेत्र:** सेमीकंडक्टर और माइक्रोप्रोसेसर निर्माण।
- **उल्लेखनीय योगदान:**
  - 1971 में दुनिया का पहला **व्यावसायिक माइक्रोप्रोसेसर** चिप बनाया।
  - SRAM और DRAM मेमोरी चिप्स के विकास में अग्रणी।
- **वैश्विक प्रभाव:** आज भी अधिकांश कंप्यूटर कंपनियाँ इंटेल के चिप्स का इस्तेमाल करती हैं।

वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ:

प्रतिस्पर्धा: ताइवान की TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) से तकनीकी रूप से पीछे।

TSMC ग्राहक: एपल, एनवीडिया, क्वालकॉम, एएमडी जैसी प्रमुख कंपनियों के लिए चिप्स बनाती है।

इंटेल की योजना:

- अमेरिका के **ओहियो राज्य** में नई फैक्ट्रियाँ बनाना, जिन्हें "**सिलिकॉन हार्टलैंड**" कहा गया है।
- यहाँ **AI और उन्नत तकनीक वाले चिप्स** बनाए जाने हैं।

चुनौतियाँ:

- वैश्विक बाजार की अनिश्चितता और आर्थिक परिस्थितियाँ।
- नई फैक्ट्रियों का संचालन अब **2030 तक** संभव होने की उम्मीद है।

एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट / AIBD

संदर्भ:

भारत ने हाल ही में थाईलैंड में आयोजित एशिया-प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट संस्थान (AIBD) के 23वें महासम्मेलन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस सम्मेलन में भारत को AIBD की कार्यकारी परिषद (Executive Board) का अध्यक्ष चुना गया। यह चयन भारत की मीडिया और प्रसारण क्षेत्र में बढ़ती नेतृत्वकारी भूमिका और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

AIBD ASIA-PACIFIC INSTITUTE FOR BROADCASTING DEVELOPMENT

एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD):

परिचय:

- **प्रकार:** अंतर-सरकारी संगठन (Intergovernmental Organization)
- **स्थापना:** 1977, **UNESCO** की देखरेख में
- **मुख्यालय:** कुआलालंपुर, मलेशिया
- **उद्देश्य:**
  - एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सहयोग बढ़ाना
  - मीडिया विकास और क्षमता निर्माण
  - सदस्य देशों के बीच समन्वय और साझेदारी

सदस्यता और विस्तार:

- **सदस्य संगठन:** 92
- **सदस्य देश:** 45

भारत की भूमिका:

- भारत **AIBD का संस्थापक सदस्य** है।
- **प्रतिनिधि:** प्रसार भारती (भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक), सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है।

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
इतिहास
अर्थव्यवस्था
भूगोल
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
1500x4
₹6000/-
₹4500/-
रोज़ाना लाइव क्लासेस
साप्ताहिक टेस्ट
क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
लाइव डाउट सेशन
रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न
COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
BBK
Baaten Bazaar ki
COURSE FEE
₹4000/-
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात
Baaten Bazar Ki

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE
+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)
FREE
EMI AVAILABLE
» Long-Term Investing Foundations
» Principles of Value Investing and Stock
» Portfolio Construction Mastery
» Sectoral Investing
» Stock Picking Framework
» Active Portfolio Management Techniques
» Mega Cap vs Mid Cap Strategy
SPECIAL BONUS
COURSE VALIDITY
1 YEAR